प्रेस नोट - थाना बण्डा

जनपद- शाहजहांपुर

दिनांक- 01.01.2025

बण्डा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व अन्य उपकरण, चोरी के चार बैट्रे सहित, लूट की योजना बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुवायां जनपद शाहजहांपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान दिनाँक- 01.01.2025 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराही हे0का0 552 रोहित कुमार मय का0 1933 सचिन कुमार मय का0 2054 विक्रान्त मलिक मय वाहन सरकारी UP27G0397 मय चालक का0 1326 कर्मवीर सिंह के थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि स्थल खण्डपारी मोड से 100 मीटर पहले दो व्यक्ति अवैध तमंचा व चोरी करने के उपकरणो के साथ एक मोटर साईकिल के साथ खडे है और अपराध करने की फिराक में है यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराही कर्म0 गण उपरोक्त द्वारा स्थल खण्डपारी मोड के पास से अभियुक्त गण **1. इमरान पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम कुवंरपुर रत्ती थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष, 2. सोनू पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बरीबरा थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 23 वर्ष को समय 01.26 बजे** गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चार अदद बैट्रा (अलग-अलग कम्पनियों के), चार अदद रिन्च व एक लाल रंग का लोहे का प्लास, एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद लाल रंग की टार्च व एक अदद मोटर साइकिल अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट (सीज) बरामद हुआ। उपरोक्त माल बरामदगी के आधार पर नियमानुसार **मु0अ0सं0-002/2025 धारा 312/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया हैं। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही उपरान्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-इमरान पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम कुवंरपुर रत्ती थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,

2-सोनू पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बरीबरा थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1-मु0अ0सं0-002/2025 धारा 312/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इमरान आदि 02 नफर, थाना बण्डा,

बरामदगी का विवरण-

1- चार अदद बैट्रा (अलग-अलग कम्पनियों के),

2-एक अदद पुलिन्दा सील सर्वे मोहर महमूला चार अदद रिन्च व एक लाल रंग का लोहे का प्लास,

3-एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

4-एक अदद लाल रंग की टार्च

5-एक अदद मोटर साइकिल रजि0न0- UP27S4144 अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट (सीज),

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछने पर बयान किया कि साहब, हम लोग अपनी जरूरते पूरा करने के लिए चोरी करते है, अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगो ने खुटार रोड से बैट्रो की चोरी की घटना को अन्जाम दिया था। जिसे अभी भी हम लोगो ने एक कमरे में छिपाकर रखा हुआ है। मौका मिलने पर उनको ओने-पौने दामो में बेच देते है। साहब छिपाये हुए माल को केवल हम लोग ही जानते है और चलकर बरामद करवा सकते है। पिछली दो रात से लगातार लूट की कोशिश कर रहे है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली और आज लूट की योजना बना रहे थे कि आपने पकड लिया है। साहब, हमसे गलती हो गयी हमे माफ कर दीजिये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला, थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
2-उ0नि0 नीरज कुमार सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
3-मु0आ0 552 रोहित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
4-का0 1933 सचिन कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
5-का0 2054 विक्रान्त मलिक थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
6-का0 1326 कर्मवीर सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,